

## राज्य वधानमंडल में राज्यपाल की भूमिका

### प्रलिस के लयः

राज्यपाल, अनुच्छेद 153, पुंछी आयोग, न्यायकी समीकषा, अधयकष, सर्वोच्च न्यायालय, नबाम रेबयिा और बामंग फेलकिस बनाम डपिटी स्पीकर केस, पुषुषोत्तम नंबुदरिी बनाम केरल राज्य

### मेन्स के लयः

राज्यपाल से संबंघति संवैधानकी प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय का रुख और राज्यपाल की वधियकों पर अनुमति रोकने की शक्त के संबंघ में आयोगों की सफिरशिं

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के कई राज्यों में वधियकों के पारति होने के संबंघ में मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के बीच बातचीत को लेकर मुद्दे सामने आए हैं। मुख्यमंत्रियों ने चतिा व्यक्त की है कि राज्यपालों ने उनकी सहमति के लयि प्रसतुत वधियकों पर कार्रवाई करने में देरी की है।

- यह स्थति लोकतंत्र के कामकाज और वधियायी प्रकरयिा में बाधा डालने के संभावति परिणामों के बारे में महत्त्वपूरण प्रश्न उठाती है।

### राज्यपाल से संबंघति संवैधानकी प्रावधानः

- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लयि एक राज्यपाल का प्रावधान कयिा गया है। एक व्यक्ती को दो या दो से अधिकि राज्यों के राज्यपाल के रूप में नयुक्त कयिा जा सकता है।
  - राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताकष एवं मुहर सहति अधपितर द्वारा नयुक्त कयिा जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (अनुच्छेद 155 और 156)।
- अनुच्छेद 161 में कहा गया है कि राज्यपाल के पास क्षमा आदी की और कुछ मामलों में दंडादेश के नलिंबन, परहिर या लघुकरण की शक्ति है।
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह नरिणय दयिा गया था कि किसी बंदी को क्षमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति वास्तव में स्वयं उपयोग कयि जाने के बजाय राज्य सरकार के साथ आम सहमति से प्रयोग की जाती है।
  - सरकार की सलाह राज्य प्रमुख (राज्यपाल) पर बाध्यकारी है।
- कुछ वविकाधीन शक्तियों के अतरिकित राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लयि मुख्यमंत्री की अधयकषता में एक मंत्रपरिषिद का गठन कयि जाने का प्रावधान है। (अनुच्छेद 163)
  - वविकाधीन शक्तियों में शामिल हैं:
    - राज्य वधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नयुक्ती।
    - अवशिवास प्रस्ताव के दौरान।
    - राज्य में संवैधानकी तंत्र की वफिलता के मामले में (अनुच्छेद 356)।
- अनुच्छेद 200:
  - भारतीय संवधान का अनुच्छेद 200 किसी राज्य की वधानसभा द्वारा पारति वधियक को सहमति के लयि राज्यपाल के समकष प्रसतुत करने की प्रकरयिा को रेखांकित करता है, जो या तो सहमति दे सकता है, सहमति को रोक सकता है या राष्ट्रपति के वचिर के लयि वधियक को आरकषति कर सकता है।
  - राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनर्वचिर का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ वधियक को वापस भी कर सकता है।
    - पुषुषोत्तम नंबुदरिी बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि राज्यपाल की सहमति के लयि लंबति वधियक सदन के भंग होने पर व्यपगत नहीं होता है।
      - न्यायालय ने अनुच्छेद 200 और 201 में समय-सीमा की अनुपस्थति से यह नषिकरष नकिला कनिरिमाताओं का इरादा राज्यपाल की सहमति की प्रतीकषा करने वाले बलिों के समाप्त होने का जोखमि नहीं था।
  - अनुच्छेद 200 का दूसरा प्रावधान राज्यपाल को किसी वधियक को राष्ट्रपति को संदरभति करने का वविकाधकिार देता है यदविह मानता है कि इसके पारति होने से उच्च न्यायालय की शक्तियों का उल्लंघन होगा। राष्ट्रपति की सहमति की प्रकरयिा अनुच्छेद 201 में

उल्लिखित है।

- **शमशेर सहि मामले में** न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति के विचारार्थ विधायकों को आरक्षण रखने की राज्यपाल की शक्ति विकासधीन प्राधिकार का एक उदाहरण है।

#### ■ अनुच्छेद 201:

- इसमें कहा गया है कि जब कोई विधायक राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षण होता है, तो राष्ट्रपति विधायक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है।
- राष्ट्रपति राज्यपाल को विधायक पर पुनर्विचार के लिये सदन या राज्य के विधानमंडल के सदनों को वापस करने का निर्देश भी दे सकता है।

#### ■ अनुच्छेद 361:

- संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को अपनी शक्तियों द्वारा किये गए किसी भी कार्य हेतु न्यायालयी कार्यवाही से पूर्ण छूट प्राप्त है।

## भारत में विधायकों पर राज्यपाल द्वारा अनुमति रोकने के हाल के उदाहरण:

- अप्रैल 2020 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने वर्ष 2019 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित एक विधायक पर सहमति रोक दी, जिसमें छत्तीसगढ़ लोकसुधार अधिनियम, 2001 की धारा 8(5) में संशोधन करने की मांग की गई थी।
- सितंबर 2021 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है कि सदन में लाए गए विधायकों पर राज्यपाल की सहमति के लिये एक समय-सीमा निर्धारित की जाए। तमिलनाडु के राज्यपाल ने राष्ट्रीय पाठ्यता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से छूट वाले विधायक को काफी वलिंब के बाद राष्ट्रपति को भेजा।
- फरवरी 2023 में केरल में राज्यपाल द्वारा लोकसुधार संशोधन विधायक और केरल विश्वविद्यालय संशोधन विधायक को स्वीकृति नहीं देने की सार्वजनिक रूप से की गई घोषणा की वजह से अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- राज्यपाल ने इन विधायकों की संवैधानिकता और वैधता पर आपत्त जताई है।

## विधायकों पर अनुमति रोकने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष और आयोगों की सिफारिशें:

- सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष: **नबाम रेबिया और बामंग फेलकिस बनाम उपाध्यक्ष मामले** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल का विकासधीन प्राधिकार यह तब तक सीमित है कि किसी विधायक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षण किया जाना चाहिये या नहीं।
  - न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि अनुच्छेद 163(2) को अनुच्छेद 163(1) के साथ पढ़ा जाना चाहिये, यह सुझाव देते हुए कि केवल ऐसे मामले जो स्पष्ट रूप से राज्यपाल को स्वायत्तता से कार्य करने की अनुमति देते हैं, न्यायिक चुनौती के दायरे से बाहर हैं।
  - इसलिये अनिश्चित काल हेतु विधायक पर सहमति रोकना असंवैधानिक है और इस संबंध में राज्यपाल की कार्रवाई या नषिक्रयिता न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है।
- **पुछी आयोग (2010):** इस आयोग ने यह सुझाव दिया कि एक समय-सीमा का निर्धारण किया जाना आवश्यक है जिसके भीतर राज्यपाल विधायक के संबंध में सहमति जताने अथवा इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षण रखने का निर्णय ले सके।
- **राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution-NCRWC):** इस आयोग ने चार महीने की एक समय-सीमा निर्धारित की जिसके भीतर राज्यपाल को निर्णय ले लेना चाहिये कि विधायक को अनुमति देनी है या इसे राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षण रखना है
  - जैसा कि अनुच्छेद 200 में वर्णित है, इसने संविधान में नरिदष्टि मामलों को छोड़कर, विधायक के एक भाग के प्रति सहमति को विचारार्थ रखने और राष्ट्रपति के विचार के लिये किसी विधायक को आरक्षण करने की राज्यपाल की शक्ति को खत्म करने का भी सुझाव दिया था

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विकासधीन शक्तियाँ हैं?(2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिये रिपोर्ट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्ति करना

3. राज्य वधिनमंडल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपति के वचिर के लयि आरकषति करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लयि नयिम बनाना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

**??????:**

प्रश्न. क्या उच्चतम न्यायालय का नरिणय (जुलाई 2018) दलिली के उपराज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजयि। (2018)

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा वधियी शक्तयिों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का वविचन कीजयि। वधियकि के समकष रखे बनिा राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की वविचना कीजयि। (2022)

**स्रोत: द हट्टि**

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/governor-s-role-in-state-legislature>

